



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेय हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्र./11861/मॉनिट/NR-7/मनरेगा/12
प्रति,

भोपाल, दिनांक 19/12/2012

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला-समस्त

विषय :- योजना अंतर्गत मनरेगा पोर्टल पर प्रदर्शित आकड़ों के अनुसार जिलों की भौतिक/वित्तीय प्रगति के आधार पर श्रेणीकरण विषयक।

परिषद मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह मनरेगा पोर्टल पर प्रदर्शित आकड़ों के अनुसार जिलों की भौतिक/वित्तीय प्रगति के आधार पर श्रेणीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण मापदण्डों के अनुसार होगा। जिससे कि आप शासन की प्राथमिकताओं से अवगत रहे तथा योजना की प्रगति में और गति लाई जा सके। श्रेणीकरण प्रत्येक माह की 30 तारीख को मनरेगा पोर्टल पर प्रदर्शित एमआईएस आकड़ों के आधार पर किया जावेगा।

नवीन श्रेणीकरण शीघ्र ही ऑनलाईन रिपोर्ट की जावेगी। श्रेणीकरण के लिये विभिन्न मापदण्ड मूल्यांकन प्रक्रिया सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त,

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल, दिनांक 19/12/2012

क्र./11862/मॉनिट/NR-7/मनरेगा/12
प्रतिलिपि :-

1. संभाग आयुक्त (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


आयुक्त,

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
जिलों की रैंकिंग भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर

एमआईएस दिनांक 29.11.12

क्र.	जिले का नाम/ अधिकतम अंक	MIS% (कुल उपलब्ध राशि के विरुद्ध)	भागव दिवस सृजन (लेबर बजट के विरुद्ध एमआईएस प्रतिशत)	कुल व्यय (लेबर बजट के विरुद्ध एमआईएस प्रतिशत)	प्रतिशत प्रशासनिक व्यय	60.40 (प्रतिशत मजदूरी भुगतान)	कार्य पूर्णता (प्रतिशत में)	रोजगार (मांग एवं उपलब्धता में अंतर)	मरटर रोल के विरुद्ध एम.वी का प्रतिशत	लंबित आडिट कांडिकाए	जॉयकार्ड में फोटो का प्रतिशत	भारत सरकार की लंबित शिकायतें (VIP+Gen)	कुल प्राप्त अंक	श्रेणी
		(10)	(10)	(10)	(5)	(10)	(10)	(10)	(5)	(10)	(10)	(10)	(100)	
1	BURHANPUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BURHANPUR	6	10	10	5	10	0	8	0	8	0	8	65	B
2	ASHOK NAGAR	8	0	8	4	10	8	8	0	6	0	8	60	B
3	INDORE	8	0	5	3	10	8	8	0	10	0	8	60	B
4	RAISEN	6	10	10	0	10	-2	8	0	10	0	6	58	B
5	HOSHANGABAD	6	8	8	-2	10	8	8	0	0	0	10	56	B
6	BHIND	6	8	8	-2	10	-2	8	0	10	0	8	54	B
7	IMORENA	6	5	0	5	10	0	8	0	10	0	10	54	B
8	JHABUA	8	8	8	5	10	0	-4	0	10	0	8	53	B
9	BHOPAL	6	10	10	3	0	-2	8	0	10	0	8	53	B
10	SEHORE	8	8	8	5	10	0	5	0	0	0	8	52	B
11	DEWAS	8	0	8	3	0	8	8	0	10	0	6	51	B
12	NEEMUCH	6	0	8	3	10	-2	8	0	10	0	8	51	B
13	SHAJAPUR	6	0	0	3	10	8	5	0	10	0	8	50	B
14	JABALPUR	8	0	0	4	10	8	5	0	8	0	6	49	C
15	SEONI	6	0	0	5	10	8	5	0	8	0	6	48	C
16	DATIA	0	8	8	-2	10	-2	8	0	10	0	8	48	C
17	MANDSAUR	6	0	5	5	10	-2	8	0	10	0	6	48	C
18	SAGAR	8	5	8	0	10	-2	5	0	8	0	6	48	C
19	SATNA	8	5	8	0	10	8	0	0	10	0	-2	47	C
20	GWALIOR	6	0	5	-2	10	0	10	0	10	0	8	47	C
21	SHEOPUR	6	0	5	3	10	-2	8	0	8	0	8	46	C
22	GUNA	8	0	0	4	10	8	8	0	0	0	8	46	C
23	ANUPPUR	8	0	0	4	10	10	5	0	0	0	8	45	C
24	VIDISHA	6	8	8	4	0	-2	5	0	10	0	6	45	C
25	KHARGONE	8	0	0	4	0	10	8	0	8	0	6	44	C
26	HARDA	0	8	8	0	10	0	8	0	0	0	10	44	C
27	PANNA	6	0	0	3	0	8	8	0	10	0	8	43	C
28	NARSINGHPUR	6	0	8	-2	10	8	5	0	8	0	8	43	C
29	RATLAM	6	0	0	5	10	-2	8	0	10	0	6	43	C
30	BETUL	8	0	0	3	10	8	5	0	0	0	8	42	C
31	EAST NIMAR	6	5	0	5	10	8	8	0	0	0	0	42	C
32	DAMOH	8	0	5	5	10	-2	8	0	0	0	8	42	C
33	SINGRAULI	6	0	0	3	10	0	5	0	10	0	8	42	C
34	CHHATARPUR	8	0	5	4	0	-2	8	0	10	0	8	41	C
35	REWA	6	0	5	4	10	0	8	0	0	0	8	41	C
36	BALAGHAT	6	0	5	3	10	8	0	0	8	0	0	40	C
37	BARWANI	6	0	0	5	10	8	5	0	6	0	-2	38	C
38	UMARIA	8	0	0	4	10	8	8	0	0	0	0	38	C
39	ALIRAJPUR	6	0	0	5	0	0	8	0	10	0	8	37	C
40	KATNI	8	0	0	5	0	0	5	0	10	0	6	34	C
41	RAJGARH	0	0	0	4	10	8	-4	0	10	0	6	34	C
42	UJJAIN	6	0	8	5	0	-2	8	0	10	0	-2	33	C
43	MANDLA	8	0	0	3	10	-2	-4	0	8	0	8	31	C
44	DHAR	6	0	0	4	10	8	-4	0	8	0	-2	30	C
45	SHAHDOL	6	0	0	3	10	0	5	0	0	0	6	30	C
46	DINDORI	6	0	0	4	10	0	0	0	0	0	8	28	C
47	SHIVPURI	6	0	0	0	10	-2	8	0	0	0	6	28	C
48	CHHINWARA	6	0	0	0	10	-2	0	0	8	0	6	28	C
49	SIDHI	6	0	5	4	0	0	0	0	10	0	0	25	C
50	TIKAMGARH	8	0	8	3	0	8	0	0	0	0	-2	25	C

अनुसूची भौतिक प्रगति पत्रक एवं वित्तीय प्रगति पत्रक के आधार पर

श्रेणी-

A (75 अंक एवं अधिक) B (50 अंक एवं अधिक) C (25 अंक एवं अधिक) D (25 अंक से कम)

Sanjana Jain
Joint Commissioner (P & M)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.
दिनांक 10.10.2012 को आयुक्त कक्ष में चर्चानुसार विभिन्न शाखाओं द्वारा प्रेषित मापदण्डों
के आधार पर रेकिंग का नवीन प्रारूप

2

(कुल अधिकतम अंक 100)

तकनीकी शाखा

(1) मस्टर रोल विरुद्ध माप पुस्तिका का प्रतिशत-

(अधिकतम अंक 5)

- पूर्ण रूपेण मस्टर रोल की प्रविष्टि 75% से कम होने पर - 0 अंक।
- पूर्ण रूपेण मस्टर रोल की प्रविष्टि 75% से 90% होने पर - 3 अंक।
- पूर्ण रूपेण मस्टर रोल की प्रविष्टि 90% से अधिक होने पर - 5 अंक।

(2) कार्यपूर्णता दर (प्रतिशत में) :-

(अधिकतम अंक 10)

- कार्यपूर्णता दर 75% से अधिक होने पर - 10 अंक।
- कार्यपूर्णता दर 60% अथवा अधिक - 8 अंक।
- कार्यपूर्णता दर 60% से कम होने पर - 0 अंक।
- कार्यपूर्णता दर 50% से कम होने पर - -2 अंक (काटे जायेंगे)

वित्त एवं लेखा शाखा

(1) Financial (Labour Budget Vs MIS (Percentage))

(अधिकतम अंक 10)


- 91 प्रतिशत या अधिक - 10 अंक
- 71 प्रतिशत अथवा अधिक - 8 अंक
- 61 प्रतिशत अथवा अधिक - 5 अंक
- 61 प्रतिशत से कम - 0 अंक

(2) Adm. Expenditure (MIS Percentage)

(अधिकतम अंक 5)

योजना के समानुपातिक प्रशासनिक व्यय

- 4 प्रतिशत अथवा कम - 5 अंक
- 5 प्रतिशत अथवा कम - 4 अंक
- 6 प्रतिशत अथवा कम - 3 अंक
- 6 प्रतिशत से अधिक - 0 अंक
- 8 प्रतिशत से अधिक - -2 अंक (काटे जायेंगे)


Sânjana Jain
Joint Commissioner (P. & B.M.)

(3) कुल उपलब्ध राशि का एम.आई.एस प्रतिशत

(अधिकतम अंक 10)

- 91 प्रतिशत या अधिक – 10 अंक
- 71 प्रतिशत अथवा अधिक – 8 अंक
- 61 प्रतिशत अथवा अधिक – 6 अंक
- 61 प्रतिशत से कम – 0 अंक
- 50 प्रतिशत से कम – -2 अंक (काटे जायेंगे)

(4) Audit management (Pending Objection)

(अधिकतम अंक 10)

- कोई कंडिका लंबित न होना – 10 अंक
- 10 एवं कम कंडिका लंबित होना – 8 अंक
- 20 एवं कम कंडिका लंबित होना – 6 अंक
- 20 से अधिक कंडिका लंबित होना – 0 अंक

मॉनिट शाखा

(1) मानव दिवस सृजन (मासिक लेबर बजट विरुद्ध एमआईएस (प्रतिशत))

(अधिकतम अंक 10)

- 90 प्रतिशत अथवा अधिक – 10 अंक
- 80 प्रतिशत अथवा अधिक – 8 अंक
- 70 प्रतिशत अथवा अधिक – 5 अंक
- 70 प्रतिशत से कम – 0 अंक

(2) प्रतिशत मजदूरी भुगतान (60:40) – (मासिक एमआईएस अनुसार)


(अधिकतम अंक 10)

- 60 प्रतिशत एवं अधिक – 10 अंक
- 60 प्रतिशत से कम – 0 अंक

(3) रोजगार (मांग एवं उपलब्धता में अंतर) (मासिक एमआईएस अनुसार)

(अधिकतम अंक 10)

- शून्य – 10 अंक
- 1 से 199 – 8 अंक
- 200 से 399 – 5 अंक
- 400 से अधिक – 0 अंक
- 1000 से अधिक – -4 अंक (काटे जायेंगे)


Sanjana Jain
Joint Commissioner (P & M)

एमआईएस शाखा

(4)

(1) जॉबकार्ड में फोटो का प्रतिशत -

(अधिकतम अंक 10)

- 60 प्रतिशत से कम - 0 अंक
- 60 प्रतिशत से अधिक - 5 अंक
- 80 प्रतिशत एवं अधिक - 10 अंक

शिकायत शाखा

(1) भारत सरकार की लंबित शिकायते (व्ही.आई.पी+सामान्य) -

(अधिकतम अंक 10)

- शून्य - 10 अंक
- एक से चार - 8 अंक
- पांच से नौ - 6 अंक
- दस से चौदह - 0 अंक
- पन्द्रह अथवा अधिक - -2 अंक (काटे जायेगे)


Sanjana Jain 
Joint Commissioner (P & M)